SHRI DATTATRAYA KUNTE: It is a point of order. I am not making a speech. I am seeking a clarification from the Minister.

MR. SPEAKER: Do not make it a debate. When you mentioned your point of order, I heard you.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: My only question is: When the Minister said just now that the details cannot be decided till there is consultation with the States, does it satisfy rule 206(2)? As long as that is not done, the Demand could not be put to the House.

Another point is that he is referring to the next year. But in the current year, as I pointed out, they are going to spend as much as Rs. 275 crores before 31 March. The Prime Minister said that they have discussed it with the Planning Commission. The *Times of India* says that rules must be framed. Why not lay the scheme before the House. This is the information I want. I am not making a speech at all.

MR. SPEAKER: Still he has made it.

SHRI P. C. SETHI: In further clarification, I may say that this is not the position only this year. In 1966-67 and 1967-68, we gave Rs. 108 crores and Rs. 118 crores respectively. As far as the current year is concerned, the figure of Rs. 275 crores has been given. But what has been done is only a provision in advance keeping in view the previous experience we have had.

AN HON. MEMBER: What are the principles?

SHRI P. C. SETHI: With regard to Rs. 175 crores, the details are to be decided after consultation with the States. These will also have to be decided after consultation with the Planning Commission.

MR. SPEAKER: For the time being we will pass on to the next item, and I will give my ruling later. I will consider all these objections.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): The matter has been raised and answered. Now, we should proceed with the Vote of Account.

MR. SPEAKER: We take up item No. 9, Discussion under Rule 193.

18.58 hrs.

DISCUSSION *RE*: REVISION OF SCALES OF PAY AND ALLOWANCES OF EMPLOYEES OF UNION TERRITORIES

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राज्य गृह मन्त्री ने यूनियन टेरिट्रीज के पे-स्केल्स के सिलसिले में जो वक्तव्य दिया है उससे हिमाचल प्रदेश के लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों को जिस प्रकार की निराशा हुई है और चण्डीगढ़ के साढ़े चार हजार सरकारी कर्मचारियों (यूनियन टेरिट्री) को जिस प्रकार की भीषण स्थिति का सामना करना पड़ा है उस सिलसिले में मैं यह विवाद प्रारम्भ करना चाहता हूं। सौभाग्य की बात है कि हमारे गृह-मन्त्री, श्री चव्हाण इस समय इस सदन के अन्दर उपस्थित हैं। मैं चव्हाण साहब का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि 28 अगस्त, 1969 को मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर आपने कहा था कि चण्डीगढ़ के 6 हजार सरकारी कर्मचारी जिनको पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में एलोकेट नहीं किया गया है उनको यह रिवाइज्ड ग्रेड जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, नहीं मिला है और उस सिलसिले में आपने कहा था:

> "The Government are advised that the legal position with regard to these unallocated employees, so long as they remain unallocated to any State, is that they will be deemed to be employees of the State of Punjab on deputation to Chandigarh. Therefore, these employees will be entitled to Punjab scales of pay, Government have accepted this advice and will take action accordingly."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 28 अगस्त, 1969 को आपने यह स्वीकार किया कि चण्डीगढ़ के ये 6 हजार अनएलोकेटेड एम्प्लाईज के सिलसिले में आपको कानूनी मशिवरा मिला है कि इनको पंजाब के पे-स्केल्स मिलने चाहिए। आपने उस समय बहुत मेहरबानी की और आपने कहा था कि सरकार इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। मगर बदकिस्मती की बात है कि बाद में हमारी इस सरकार ने चंडीगढ़ के 6 हजार कर्मचारियों में से तीन हजार कर्मचारियों को प्राविजनली यूनियन टेरिट्री में एलोकेट कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि इन 6 हजार कर्मचारियों के अन्दर इस प्रकार का कोई भेदभाव करने का क्या कारण था? आखिर आज जो वहां की सरकार और भारत सरकार यह पोजीशन ले रही है कि जो प्राविजनली एलोकेट होंगे उनको पंजाब के पे-स्केल नहीं दिये जा सकते और जो प्राविजनली एलोकेट नहीं हुए उनको ये पे-स्केल दिये जा सकते हैं—मैं जानना चाहता हूं कि किसकी मर्जी से, किसकी राय से और किस मयार पर प्राविजनली एलोकेट किया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब जब कि यूनियन टेरिट्री चंडीगढ़ का भविष्य निश्चित हो गया है, उसको पंजाब में मिलना है तब तो और भी आवश्यक था कि यूनियन टेरिट्री के अन्दर सारे 6 हजार जितने कर्मचारी हैं उनको पंजाब का ग्रेड दिया जाये। वरना जब यूनियन टेरिट्री समाप्त होगी और वे अपने-अपने राज्यों के अन्दर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरयाणा में जायेंगे तो उनके जो प्रमोशन के चांसेज हैं, सीनियारिटी है वह सब एडवर्सली अफैक्ट होगा और उनको बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी।

19.00 hrs.

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सिलसिले में आपने क्या किया? 1969 के अन्दर भारत सरकार ने संविधान की धारा 309 की तहत रूल्स बनाये थे और उसके द्वारा आपने यह अधिकार दिया था कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटर यानि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर जो हैं वे पंजाब के पे-स्केल्स के अनुसार उनके पदों के अन्दर, उनकी वेतन दरों में समय समय पर परिवर्तन करते रहें। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले यहां के हमारे एक अन्डर सेक्रेटरी की तरफ से एक आदेश जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमने नीति तय की थी, जो फैसला किया था कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर यानि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर समय-समय पर पंजाब के पे-स्केल्स के मुताबिक उनके ग्रेड्स को रिवाइज कर सकते हैं—आप तो कानून के माहिर हैं, क्या सरकार द्वारा बनाये हुए कानूनों को किसी अन्डर सेक्रेटरी के एग्जीक्युटिव इंस्ट्रक्शन्स ओवर-राइड कर सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यूनियन टेरिट्री के पंजाब में जो सरकारी कर्मचारी हैं वे उन ग्रेड्स को हासिल कर चुके हैं। यदि आज आप उनसे वे ग्रेड्स वापिस लें तो वह बिल्कुल अनुचित होगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक तो जो आपने इस सदन के अन्दर विश्वास दिलाया था उससे सरकार को वापिस नहीं जाना चाहिए। उसके साथ-साथ सरकार ने इस सिलसिले में जो कानून बनाये हैं उनसे भी पीछे उसको नहीं हटना चाहिए उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब यूनियन टेरिट्री का भविष्य निश्चित हो गया है तो आज क्यों आप इतने कर्मचारियों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं? उनको आप पंजाब के पे-स्केल्स नहीं देंगे तो फिर जिन पे-स्केल्स की आपने घोषणा की है उनको हर्गिज वे स्वीकार नहीं करेंगे और वे भी उसी प्रकार का आन्दोलन करेंगे जिस रास्ते पर कि आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी उतरे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर से जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है उसके सिलसिले में भी आप विचार करें। लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारी आज से कुछ दिन पहले कांगड़ा, शिमला का इलाका या जो होशियारपुर

[श्री श्रीचन्द गोयल]

के जिले का इलाका है वहां पर वे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अपने साथियों के जिस प्रकार साथ-साथ इकट्ठा काम करते थे, उसी प्रकार से आज भी वही फरायज अन्जाम दे रहे हैं ।

मैं गृह मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान की धारा 309 के तहत जब आपने रूल्स बनाये तब आपने वहाँ के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को अधिकार दिया कि वह समय-समय पर उनके पे-स्केल्स पंजाब के अनुसार दोहरा सकते हैं, पंजाब के पे-स्केल्स और उनके ग्रेड्स हिमाचल के लोगों को दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में एक अन्डर सेक्रेट्री के नोट पर आपने अपनी पुरानी पालिसीज को क्यों हटा दिया ? हमारे संविधान के अन्तर्गत बनाये गये जो कानून हैं उनको आप एक एग्जीक्युटिव इंस्ट्रक्शन से क्यों परे हटाना चाहते हैं ?

19.02 hrs.

[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

कानूनन पोजीशन यह है कि संविधान की धारा 309 के तहत 1959 में जो कानून बना था वह सर्कुलेट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह जैसे-जैसे पंजाब के पे-स्केल्स रिवाइज हों उसके अनुसार परिवर्तन कर सकते है, पंजाब पे-स्केल्स के अनुसार लेफ्टेनेन्ट गवर्नर उनके पे-स्केल्स भी रिवाइज कर सकते हैं । लेकिन बाद में एक अन्डर सेक्रेट्री, मि० जैन ने एक नोट भेज दिया कि जो पालिसी थी, जो अधिकार दिया हुआ था लेफ्टेनेन्ट गवर्नर को कि वह पे-स्केल्स रिवाइज कर सकता है, उसको लागू न किया जाय, उसको विथहोल्ड किया जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारे कानून के अन्तर्गत बनाये गये रूल्स हैं उनको आप एग्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स से ओवर-राइड कर सकते हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये । जो हिमाचल के सरकारी कर्मचारी हैं वह उन स्केल्स के अधिकारी हैं और उनको प्राप्त भी कर चुके हैं । इसलिए आप उनको पंजाब के ग्रेड्स न देकर या आन्दोलन भड़का कर उनके अधिकारों पर क्यों कुठाराघात करना चाहते हैं ?

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो यूनियन टेरिटरीज के ग्रेड्स अनाउंस किये हैं उन सबको मंगाकर मैंने देखा है । जो मणिपुर के एम्प्लाइज हैं उनको 150 रु० का फायदा होगा लेकिन हिमाचल के एम्प्लाइज को पौने दो सौ रुपये का फायदा होगा । जहां तक कांस्टेबल्स का प्रश्न है अगर उन को पंजाब के रिवाइज्ड पे-स्केल्स दिये जायें तो उसको 125 से 150 का ग्रेड मिलेगा लेकिन अगर दिल्ली का पैटर्न लागू किया जाय तो उसको 75 से 95 और 95 से 110 का ग्रेड मिलेगा । पटवारी को पंजाब के ग्रेड्स के मुताबिक 110 से 200 रुपया का ग्रेड मिलेगा लेकिन अगर दिल्ली का ग्रेड दिया जाय हिमाचल वालों को तो उसको 85-2-95-3, 110-3-128 का ग्रेड मिलेगा । इसी तरह से ओवरसिअर्स के ग्रेड के बारे में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 180-380 तक है जब कि पंजाब में 200-450 और 450-500 तक । कानूनगो का दिल्ली का ग्रेड 110-180 तक है । और पंजाब में 140-300 तक है । इस प्रकार की भारी फेहरिस्त है मेरे पास, जिसको देखने से पता चलता है कि आज जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं वह बहुत ज्यादा घाटे में रहेंगे । जो उनके मौजूदा ग्रेड्स हैं उन्हें उससे बहुत कम दिया जा रहा है ।

जहां तक हिमाचल का प्रश्न है उसका यह हाल है, चण्डीगढ़ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस यूनियन टेरिटरी को आप उस स्तर पर ट्रीट नहीं कर सकते जिस पर आप दूसरी

यूनियन टेरीटरीज को ट्रीट करते हैं। कुछ दिन पहले तक यह कर्मचारी पंजाब के अपने भाइयों के साथ काम करते थे, हरियाणा के अपने भाइयों के साथ काम करते थे और समानता के आधार पर थे। अब उनमें भेद भाव पैदा करके आप उन कर्मचारियों में एक निराशा की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज वहां के लगभग एक लाख कर्मचारी आन्दोलन के ऊपर उतारू हैं। उन्होंने 13 तारीख को बहुत ही शांत प्रदर्शन किया और कुल कर्मचारियों में से 95 परसेंट अपनी ड्यूटीज से गैर-हाजिर रहे। उन लोगों ने जो निश्चय किया था उसके बारे में आपको कानूनी अख्त्यार होते हुए भी चूंकि उनके हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है इसलिए उन कर्मचारियों में से लगभग 95 प्रतिशत के 13 तारीख के अपने आन्दोलन में भाग लिया। न सिर्फ सारी हिमाचल की जनता ने उनको पूर्ण सहयोग दिया, शिमला, मन्डी और बिलास पुर में दूसरी नौकरियों में भी पूर्ण हड़तालें हुई। इसका मतलब यह है कि वहां की जो शहरी आबादी है वह भी उन कर्मचारियों की मांगों के साथ न केवल सहमत है बल्कि उनके साथ त्याग और कुर्बानी करने के लिए भी तैयार है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि जहां तक इन मांगों का प्रश्न है, वह उचित हैं और जहां तक उनके आन्दोलन का ताल्लुक है, वह भी उचित है, लेकिन यह आन्दोलन भारत सरकार के विरुद्ध होना चाहिये। लेकिन हम देख रहे हैं कि श्री चव्हाण 48 ट्रकों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस वहां भेज चुके हैं। कहीं उन्होंने गोलियां चलाई, कहीं पर अश्रु गैस छोड़ी। नगरेट में गोली चली है, मन्डी में अश्रु गैस का प्रयोग किया गया है। कितने ही कर्मचारियों को कानूनी तरीकों को छोड़कर सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है। कर्मचारियों की मांगे जब उचित समझी जाती हैं उसके बावजूद इस प्रकार की नीति रख कर वह कर्मचारियों की उचित मांगों के पूरी होने के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। यह एक ही सांस में गरम और ठंडी हवा निकालने की बात है कि एक तरफ तो मांगों को उचित कहते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ज्यादती करते हैं।

आपके नोटिस में यह आया होगा कि वहां...

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सभापति महोदय, यह तो आधा घंटे की चर्चा है।

सभापति महोदय : तीन लोगों के नाम आये हैं, वही सवाल पूछेंगे और साढ़े सात बजे हाउस उठ जायेगा।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : सिर्फ आधे घंटे की चर्चा कैसे हो सकती है, आधा घण्टा तो आपने इनको ही दे दिया। यह बहुत गलत बात है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये। खास कर जो हमारे पांच सरकारी कर्मचारी 13 दिन से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं, आज उनकी जानें खतरे में हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत ज्यादा भयंकर हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार आज उनसे इस बात की अपील करे और यह कहे कि हम तुम्हारे साथ बात चीत करने के लिये तैयार हैं और तुम्हारे मामले में हमदर्दी से विचार करने के लिए तैयार हैं। उनसे अपील करे कि वह अपनी भूख हड़ताल वापस लें, वर्ना जो लोग आज मौत और जिन्दगी के बीच आज झूल

[श्री श्रीचन्द गोयल]

रहे हैं उनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर होगी । मैं चाहता हूँ कि श्री चव्हाण इसको अपने सम्मान का प्रश्न न बनायें और भूख हड़तालियों से इस बात की अपील करें कि बात चीत का दरवाजा खुला हुआ है और उनके साथ बात चीत करके कोई उचित हल निकालें ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय हम को तीन नाम दे गये हैं, मैं उनको बुलाऊंगा उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे । श्री प्रेमचन्द वर्मा ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Sir, this is not fair. You have to go by the list while calling names. You should give us time. This is extremely unfair.

MR. CHAIRMAN : The Speaker has given me three names. I will call only those three names.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : The Speaker has no power under the rules to change the list. Our names are in the list. How can those names be deleted ? This is not fair.

सभापति महोदय : एक बात आप सुन लीजिये । आध घंटे का समय मिला है । उसी आध घंटे में सब लोगों को बोलना है और मिनिस्टर साहब को भी जवाब देना है ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise on a point of order.

MR. CHAIRMAN : You first hear me and then raise the point of order.

SHNI VIKRAM CHAND MAHAJAN : It is not fair. We have a right to speak. Our names are on the Order Paper.

सभापति महोदय : आप लोग सवाल पूछ लीजिए ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Give a chance to Members whose names are on the Order Paper.

MR. CHAIRMAN : I will give a chance to all persons to ask questions but not to make speeches.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : A discussion under rule 193 has to follow certain rules.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I rise on a point of order. If you see the Order, Paper, you will find that it is written there, "Discussion under rule 193". Now what is rule 193 ? It reads :—

> "Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary specifying clearly and precisely the matter to be raised :
>
> Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question :
>
> Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members."

You have omitted that.

Now, a discussion under rule 193 is not a half-an-hour discussion. Never a discussion under rule 193 has taken less than one hour in this House ; it has taken even two hours. So, how can it be a half-an-hour discussion now ?

सभापति महोदय : 11 मार्च को यह सवाल उठाया गया था । तब प्रेम चन्द वर्मा जी ने कहा था कि उनकी बात को सुन लिया जाए । इस पर स्पीकर ने कहा था :

> "I cannot depart from this procedure. But I can acoommodate him by allowing a half-an-hour discussion if he likes.
>
> * * * * *
>
> Otherwise, I will not allow this much also."

Now, the names given to me are those of Shri Goyal, Shri Verma and Shri Hem Raj. Time allotted is half-an-hour... (*Interruption*)

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : Whatever might have been the discussion

that had taken place on the floor of the House between the Speaker and a particular Member, once the Speaker has allowed the discussion under rule 193, one has got to go by the procedure laid down there. Rule 193 does not lay down a half-an-hour discussion ; that is an entirely different thing. Therefore there is no use stifling the discussion. If you want to adjourn at 7.30, you can do so by keeping this discussion for some time later on. But you cannot go behind the Rules of Procedure.

MR. CHAIRMAN : I cannot go beyond what the Speaker has said and the time that has been allotted for this today. If you have got any objection and want to bring fresh arguments, you should either write to Speaker or you should bring the matter before the House when the Speaker is in the Chair...(*Interruption*)

SHRI P. RAMAMURTI : It is on the Order Paper that it is a discussion under rule 193 ; it may be a mistake. It is quite likely the Speaker in his wisdom thought that it is a subject to be discussed properly and, therefore, he put it under Rule 193, whatever might be the discussion that took place earlier. We have to go by the Order Paper. In the Order Paper, it is put under Rule 193.

MR. CHAIRMAN : In the Order Paper, the time allotted is half an hour. *(Interruptions)*

SHRI P. RAMAMURTI : That is not correct. Here is the Order Paper. Item 9 says, Discussion under Rule 193 by Shri Shri Chand Goyal, Shri Vikram Chand Mahajan and Shri Hem Raj. There is no mention of half an hour here, as far as the Order Paper is concerned.

MR. CHAIRMAN : This is Bulletin Part II, 1580 :

> "Short duration discussion under Rule 193 by Shri Shri Chand Goyal, Shri Vikram Chand Mahajan and Shri Hem Raj. Date and time of discussion Tuesday, 17.3.70, at 6-30 P. M. for half an hour."

SHRI P. RAMAMURTI : No, no. That Bulletin is prior to this. The final thing is this Order Paper, whatever he might have stated earlier. The presumption is that he has re-thought over the matter and has found that this is a matter which requires proper discussion and that is why he has put it under Rule 19'. Otherwise, he would have put it as a half-an hour discussion. This is the final decision of the Speaker. It is not a half-an-hour discussion. It is a discussion under Rule 193.

MR. CHAIRMAN : You have to read both together.

SHRI P. RAMAMURTI : This Order Paper is final.

MR. CHAIRMAN : You have to see the time allotted.

SHRI P. RAMAMURTI : The Bulletin is different from the Order Paper. The Bulletin is just information.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : On a point of order, Sir. Under Rule 195, any Member who has previously intimated to the Speaker may be to take part in the discussion. I had given my name... *(Interruptions)*

सभापति महोदय : आप जितना बैठना चाहते हैं बैठ लें।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रामावतार शास्त्री : जिसका नाम पहले है...

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मुझे चेयर पुकार चुकी है...

सभापति महोदय : इस लिए मुझे हाउस को एडजर्न करना पड़ जाता है। इतने में तीन बोल जाते। आप यह भी सुन लें :

> "The Speaker may allow two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussions and allow such time for discussion not exceeding one hour."

SOME HON. MEMBERS : That is all right.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीर पुर) : जिस तरह से यहां गड़बड़ चल रही है, उसी तरह से वहां भी चल रही है। गृह मन्त्री जी बैठे हुए हैं, इसकी मुझे खुशी है। जो वक्तव्य डिप्टी मिनिस्टर ने उस दिन दिया, हम चाहते थे कि गृह मन्त्री जी उसको देते। हमको उस पर सवाल पूछने का मौका भी उस दिन नहीं दिया गया।

आज गृह मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं। हम उनकी सेवा में यह अर्ज करना चाहते हैं कि सारे हिमाचल प्रदेश में, जो कि 22 हजार मुरब्बा मील का एक इलाका है और जो तिब्बत और चीन की सरहदों से लगा हुआ है, नान-गजेटिड एम्लाईज के आन्दोलन की वजह से एक इनक्लाब पैदा हो गया है और सरकार का काम ठप्प हो गया है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी उन लोगों के साथ है। वह चाहती है कि जब वे लोग पंजाब सरकार के अधीन थे, उस समय उनके साथ जो वायदा किया गया था, उसको पूरा करना चाहिए। पंजाब के विभाजन के परिणामस्वरूप उनकी सर्विसिज का जो ट्रांसफर हुआ, वह सरकारी कर्मचारियों ने नहीं किया, बल्कि भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। उनका कहना है कि उनकी सर्विसिज के ट्रांसफर के वक्त यह कहा गया था कि उनको पंजाब के वेतन मिलेंगे। उनकी मांग है कि उनको पंजाब के 1-2-68 को रिवाइज किये गये ग्रेड्ज मिलने चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने उनको दिल्ली के ग्रेड दिये हैं, जो मुकाबलतन कम हैं। जैसा कि श्री गोयल ने कहा है, पटवारियों के ग्रेड भी कम कर दिये गये हैं।

सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल ग्रेड क्यों नहीं मन्जूर हैं और वे पंजाब के ग्रेड क्यों मांगते हैं?

श्री राममूर्ति : चेयरमैन साहब, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि वक्त की पाबन्दी होनी चाहिए। इसलिए आप हर एक मेम्बर को तीन मिनट दीजिए, उससे ज्यादा नहीं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी सूबा है और वहां पर सारी चीजें दिल्ली से और चंडीगढ़ से महंगी हैं-हर एक चीज बीस, पच्चीस फिसदी महंगी है। लेकिन वहां के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दिल्ली के ग्रेड्ज के मुताविक दी जाती है, जहां हर एक चीज ऐवेलेबल है और सस्ती है। मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के ग्रेड्ज से तीस फीसदी ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए; तभी उनके साथ इन्साफ हो सकता है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब उनकी भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए जरूरी कदम उठाये और वह यह आश्वासन दें कि वह आपसी बात चीत के द्वारा इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। इन्साफ का तकाजा यही है कि हिमाचल प्रदेश के नान-गजेटिड एम्प्लाइज, टीचर्ज और लैक्चरार्ज को पंजाब के रिवाइज्ड ग्रेड दिये जायें।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : Sir, there can be no dispute that the wage structure or the salary structure of the lower staff of Himachal Government is very low. Our Home Minister has often said that it is necessary to raise the standard of living of the citizen of India. I hope in the case of non-Gazetted Himachal Pradesh staff he will give the same consideration. Why is there a strike in Himachal Pradesh?

Why is there so much unrest ? The answer is that on the 1st of September, 1948 the Central Government has promised them that they will be given the pay on the Punjab pattern. That was the assurance given to them. It was worded like this :

> "The grant of the revised pay scales and allowances to the Government servants of Himachal Pradesh shall be according to Punjab structure and there shall be automatic revision."

Now, this was the assurance. This was the notification regarding Himachal Pradesh employees. But suddenly after 1968 the Punjab scales went up. But the Government of India said, 'We will not give you Punjab scales.' It is natural that there would have been a resentment in those particular regions I submit, Sir, in view of the rising prices and in view of the fact that the people in those regions live in places which are far off from the places where they can get the facilities of education, and since they have to send their children to far off places for education this is a thing which should be considered. In places like Lahaul and Spiti there is no college and they have to send their children to far off places for education. Such people getting Rs. 300 or Rs. 400 per month cannot afford to send their children to such far off education. Is it the contention of the Government that such low-paid Government servants are in a posision to send their children to far off places for education ? If they have given an assurance to the employees, in the year 1948, what is the reason that that assurance has been withdrawn ? I would like to know the reason for that and why it has been withdrawn.

Secondly, the Himachal Government has supported the claim and the Himachal Government has said that they should be given these scales. But the Central Government has declined to give these scales. Then they said, give us the statehood and we will decide our own problems. What I submit to the hon. Minister is this : If the Central Government is finding it difficult to meet the demands of higher pay scales of the Himachal Pradesh employees it would be better to give Himachal Pradesh the Statehood that they desire. Let Himachal face the music. What I submit is this. Why should they stand in the way of Himachal Government ? If they are willing to give higher pay structure to the employees, if Central Government cannot give, let the Himachal Pradesh do so ; let them have Statehood and let them face the music. Today, at present we are faced with an indefinite hunger strike by five Government employees. The condition of two is deteriorating. I would submit to the Home Minister that he should say that we are reconsidering the decision and we hope the employees, in view of this assurance of the Government, will break the fast. I hope that he will make this appeal and solve this problem in the interest of the country. Thank you.

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, शमाली हिन्द में हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट थी, जहां किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी और जहां एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन मेरा यह आरोप है कि जहां सरकार अच्छी-भली प्रकार से चल रही थी, वहां अगर किसी ने खलबली मचवाई है, तो वह हिन्द सरकार ने मचवाई है। 1948 में हिमाचल में पंजाब पे-स्केल मुकर्रर किये गये और बाइस साल तक वे दिये जाते रहे। उसके बाद हिन्द सरकार को यह खयाल आया कि उन स्केलों को बदला जाये और जो कुछ वहां के कर्मचारियों को मिलता था, उस से कम दिया जाये। कानून में स्टेरी डिमाइसिस के उसूल के मुताबिक जो मामला काफ़ी देर तक चलता रहे, वही आगे के लिये चलना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश में चीज़ें मैदानों से ज्यादा महंगी हैं। यही वजह थी कि जब लाहौल-स्पीती मेरा पार्लिमेंट के हलके में था, तो यह सवाल उठा था कि जो तन्ख्वाहें पंजाब में दी जाती हैं, लाहौल-स्पीती जैसे स्नो-बाउंड एरियाज में उन से दुगनी तन्ख़्वाहें दी जानी चाहिये। वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी जाने के लिए तैयार नहीं होता था। इसलिये कैरों साहब ने वहां डबल तन्ख्वाह देनी शुरू कर दी थी। 1960 में यह तरमीम की गई कि चूंकि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को रेज़ीडेंस दिया जाता है, इसलिये उस तन्ख्वाह में कमी कर दी जाये। इसका

[श्री हेम राज]

नतीजा यह हुआ कि वहां पर बगावत शुरू हो गई। मैंने खुद जाकर देखा कि पुलिस में बगावत थी। मैंने यहां आकर पंडित जी को रिपोर्ट दी और उन्होंने उस बात को समझा। मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब भी यह समझें कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है, वह एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, जो कि तिब्बत के साथ मिलता है। क्या सरकार वहाँ की सर्विसिज़ को डिससैटिसफ़ाइड रखना चाहती है? मैं समझता हूँ कि बार्डर एरियाज में सरकार को किसी भी सर्विस को डिससैटिफ़ाइड नहीं रखना चाहिए। सरकार वहां के सरकारी कर्मचारियों को पिछले बाइस साल से जा तनख्वाहें दे रही है, उसको कम नहीं करना चाहिये।

और उसके साथ-साथ एक ही बात नहीं है, आज वहां का कम्पेन्सेटरी एलावेंस वगैरह सब अलाहिदा है। वहाँ पर कम्पेन्सेटरी एलावेंस शिमले का और है, लाहौल का अलग है, स्पीती का अलग है और जगहों का और है। आप ने सारा मिलाकर के जो सेंटर का कम्पेन्सेटरी एलावेंस है वही लागू कर दिया है। उसका नतीजा यह होगा कि उसका डिफरेंस पड़ जायेगा 10 से लेकर 200 तक। मैं होम मिनिस्टर साहब से आज एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन सारे मामलों पर गौर कर के वह जो हमारे एक लाख के करीब कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं और 25-26 तारीख को फिर जाने वाले हैं, बन्ध फिर होने वाला है, जिससे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सारा का सारा काम बन्द हो जाएगा और आज बहुत सारे आदमियों को जिनको आप ने कैद में रखा है उन को सब को रिहा करिये, उसके लिये यहां से हुक्म जारी हो जाना चाहिये। उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाना चाहिये। उनकी डिमांड्स जायज हैं क्योंकि हिमाचल सरकार ने भी उनको जायज ठहराया है। असेम्बली में जो वहां के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है उस में उन्होंने कहा है कि हम तो राह देखते थे कि हमारी जो रेकमेंडेशन है, उस को हिन्द सरकार मंजूर करेगी लेकिन हिन्द सरकार ने तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी नीचे गिरा दिया है। तो मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि वहां जो एक लाख कर्मचारी हैं उनको फिर दोबारा आप तसल्ली दिलाएं और उन्हें यह आश्वासन दें कि उन का जो पे-स्केल है, उसको आप ठीक करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल की ओर से बधाई देना चाहता हूँ उन बहादुर साथियों को जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर और अपने जीवन की बाजी लगाकर मजदूरों की मांगों की सही तर्जुमानी की। आप देखें कि एक लाख सरकारी कर्मचारियों ने, हिमाचल प्रदेश के नान-गजटेड स्टाफ ने कैजुअल लीव का आन्दोलन शुरू किया और 25-26 तारीख को फिर शायद एक लाख की तादाद में वह कैजुअल लीव का आन्दोलन करेंगे। मैं चव्हाण साहब से अपील करूंगा कि इस वक्त इस को इज्जत का सवाल न बनाएं चाहे वह हों या परमार साहब हों और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मिल कर इस को वह हल करने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उन्हें पंजाब का पे-स्केल मिलना चाहिये, तो उस का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कितना आखिर दोनों में फर्क है। जो दिल्ली स्केल उन्हें मिला है उसमें एक एल०डी०सी० की तनख्वाह ले लीजिये जूनियर क्लर्क की तो वह 110 रुपये से शुरू होती है, तीन रुपये साल का इंक्रीमेंट है और 180 तक वह जाता है। पंजाब में 110-4-200 है। उसी तरह से असिस्टेंट्स का पे-स्केल देखिये। पंजाब में वह 160 से 400 तक है और दिल्ली के पे-स्केल में वह 130 से 300 तक है। तो अगर इस तरीके से फर्क हो और वाकई में आप देखिये पंजाब के पे-स्केल के वह हकदार हैं, उसके साथ वादा किया जा चुका

है तो उसके बाद इतने सालों के बाद अचानक यह बात कहना कि सेंट्रल पे-स्केल उन्हें मिलेगा, मैं समझता हूँ कि वह सेंटर की कोई कालोनी तो है नहीं, इसलिए या तो वाकई स्टेटहुड दे दीजिये, जो कुछ उनकी रेवेन्यू है उसके हिसाब से वह अपने यहां तनख्वाह देंगे, इस बात के लिये मैं पूरी तर्जुमानी करता हूं। लेकिन जब वह नहीं देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनको पंजाब का पे-स्केल न दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर वह विचार करने के लिये कुछ वक्त चाहते हैं तो वक्त वह ले लें, आज कोई हां या नां में जवाब न दें। लेकिन इस बात की अपील मैं जरूर करना चाहता हूं कि जो वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं उन से वह अपील करें कि वह भूख हड़ताल तोड़ें। हम लोगों ने अपील की है और मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनको कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा कर आप लागों का ध्यान इस तरफ दिलाया। हम तमाम दलों की ओर से उनसे अपील करना चाहते हैं कि वह अपनी भूख हड़ताल खत्म करें और उन को बुलाया जाय। उनके डेपुटेशन को बुलाया जाय, चव्हाण साहब उन से बात करें, परमार साहब को भी बुलाया जाय, त्रिदलीय या द्विदलीय मीटिंग हो और उन में यह मामले तय हों। अगर यह नहीं होता है तो मैं एक बात कह कर खत्म करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अकेले नहीं रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से यह आग जो लगेगी तो तमाम सूबों में यह आन्दोलन शुरू होगा और मैं आशा करता हूँ कि इस वक्त ऐसा आन्दोलन न हो, उसकी कोशिश चव्हाण साहब भी करेंगे और हम भी करेंगे लेकिन हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। अन्त में मैं दोबारा बधाई देना चाहता हूं उन एक लाख कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी जिन्दगी की बाजी लगाकर मजदूरों की माँग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : सभापति जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मामला अब साफ हो गया है। मगर एक बात है कि हमारे इन कर्मचारियों की कुछ शिकायतें जरूर हैं। आज तक हम लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और चूंकि अब जमाना बदल गया है और समाजवाद का प्रारंभ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि अब तो जल्दी से जल्दी उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस में गड़बड़ी जरूर है। एक तरफ हम कहते रहे कि पंजाब का स्केल तुम्हें मिलेगा, उसके बाद कहते हैं कि अब सेंटर का लागू करेंगे और उसमें एक यह लगा दिया था कि जो कम होगा, व्हिचेवर इज लेस, यानी जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, वही तुम्हें मिलेगा, फायदे की जो चीज है, वह हम लेंगे, तो अपने कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है।

दूसरी बात जो मैं चव्हाण साहब से अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि उन लोगों को जो सस्पेंड वगैरह किया है, पेपरों में आया है, यह सस्पेंशन का काम बन्द होना चाहिए और चूंकि इनके पास एक बड़ी शिकायत है, हम लोगों को सहानुभूति के साथ, हमदर्दी के साथ उसको समझना चाहिए और उनके साथ बात-चीत करके जिस में उनका नुकसान न हो, वह कदम उठाना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि सेंटर का जो कोई स्केल है उसको आप वहाँ लागू करेंगे और उन को पहले ज्यादा तनख्वाह मिलती हो तो वह कम हो जायेगी, यह ठीक नहीं है। हमेशा ट्रेड यूनियन का कायदा यह है कि हमारी सैलरी जो कुछ हमें मिलती है, वह प्रोटेक्ट होनी चाहिये। कम से कम जो पहले था वह तो कर दो और बाद में जो कुछ करना है उस पर सोचिए। और यह नहीं करते तो इन लोगों ने माँग की है कि हिमाचल प्रदेश को पूरा स्टेटहुड दे दिया जाय, वह उनको दे दीजिये। वह अपना इस मामले पर विचार कर लेंगे। मगर जब तक अपने अंडर रखते हैं तब तक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। यह मेरी गुजारिश है। और उन लोगों को यह कहा जाय, मैं भी

[श्री एस० एम० जोशी]

कहता हूँ कि उन को अपना फास्ट तोड़ देना चाहिए। आप उनके साथ बात करिये और जो वहाँ के मुख्य मंत्री हैं उनको कहा जाय कि उन का सस्पेंशन आर्डर वगैरह खत्म कर दें।

SHRI P. RAMAMURTI : I must say that the Home Minister has been very much ill-advised because I cannot imagine that the Government can think of imposing scales of pay and allowances which will lead to a tremendous diminution in the emoluments that the employees have already been getting, If he had gone into it in detail, I am absolutely certain that he would not have accepted it in the beginning, because I see that in the matter of city allowance and all that they are losing from Rs. 50 to Rs 200. Therefore, my own feeling is that the Home Minister has been completely ill advised. He is placed in such a predicament that there is not even one member from his own party to defend that order, and the members from his party have spoken more eloquently than the members of the opposition. So, our task has become much easier He is placed in that unenviable position. Therefore, I would only say that it is nigh time that this matter was rectified. I do not want to suggest any method, he can choose any method and immediately try to rectify this whole thing.

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : सभापति महोदय, मैं सब साथियों को धन्ययाद करता हूं जिन्होंने हमारे एम्पलाईज के कौज को बहुत अच्छी तरह से समझा और समझ कर सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाया है। मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि तमाम नार्दर्न जोन के अन्दर हिमाचल प्रदेश ही ऐसा शांत इलाका है जो आज तक किसी भी एजीटेशन में नहीं आया। एक पार्टी के साथ, एक आवाज के साथ आगे बढ़ा है। बावजूद इसके कि बहुत कम पावर उनके पास है, कोई भी आर्डर, काई भी हुक्म उनके पास ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से लागू कर सकें लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या होम मिनिस्ट्री के हाथों में हम खाली इस तरह से हैं जैसे हमारी कोई वकत न हो ? आप जानते हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अप्रैल, 1962 में यह मंजूरी दी कि पंजाब का स्केल हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे और उसी आधार पर सेकेंड पे कमीशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठाया था, उसने यह सिफारिश की थी कि यहां के नान-गजटेड स्टाफ को जो ऐडज्वायनिंग स्टेट है, उस के मुताविक, यानी पंजाब स्टेट के मुताविक स्केल उसको दिया जाय। इसी आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह पावर अन्डर आर्टिकिल 240 वहां के ऐटमिनिस्ट्रेटर को दी थी कि वह समय समय पर हिमाचल प्रदेश के एम्प्लाईज की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाते जायें... (**व्यवधान**) ...मैं अब खत्म करता हूं। मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ। इन्हीं बातों को लेकर जो स्टेटमेंट यहां पिछले दिनों दिया गया है उसका खण्डन हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया है, हमारी जनता ने किया है, 30 लाख जनता ने उसका खण्डन किया है...(**व्यवधान**)...मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे एक लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए, और फिर दोबारा जाने वाले हैं और हमारे नवजवान भूख हड़ताल पर बैठे हैं अपनी जायज मांग के लिए जिनके लिये कि होम मिनिस्ट्री अपने वादे से पीछे हटी है, तो ऐसी अवस्था में क्या होम मिनिस्टर कोई ऐसा स्टेटमेंट देंगे, हमें आज वह ऐसा विश्वास दिलाएंगे जिससे कि उन नवजवानों की जान बचे जोकि भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि अगर वह मर गए तो यह सारी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि वह सही तरीके से कहे कि वहां के नान-गजटेड एम्प्लाईज की जो मांगे हैं उनके बारे में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट उनके साथ बैठकर इस मसले पर विचार करे और उनको पंजाब रेट दिये जाये, क्यों दिए जायं यह कारण मैंने पहले बताए।

अब मैं मन्त्री महोदय से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं :

Whether the recommendation of the

Third Pay Commission will be applicable to Himachal Pradesh also? If so, what are the justifications for ignoring the recommendations of Second Pay Commission?

How will fixation be made of those categories which do not exist in the Delhi Administration?

If Government is so rigid on Delhi-based grades, why do they not implement these grades with effect from 1-11-1966 when a part of Pnnjab was merged with Himachal Pradesh?

Is it a fact that pay-grades to Lecturers in Himachal Pradesh have been given at Punjab rates because these are lower than those in the Delhi Administration?

मुझे उम्मीद है मिनिस्टर साहब इन बातों की तरफ ध्यान देंगे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, हिमाचल प्रदेश एक सरहदी सूबा है, वहां के लोग बड़े बहादुर हैं, मेहनती हैं, देशभक्त हैं, उनका रिकार्ड बहुत शानदार रहा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से कुछ लोग उनके जजबात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कुछ छोटी-छोटी सी बातों को लेकर हमारा इतना बढ़िया मैटीरियल भी उस तरफ चलना शुरू कर देगा तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। उनकी मांग ठीक है, एक चीज पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल में न हो, तो यह कोई मुनासिब बात नहीं है, मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप उस डिस्पैरिटी को दूर करें और हमारे जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप उनको अपने हाथ में लें, बजाय इसके कि बनर्जी वहां पर अपनी टोपी या लाल झण्डा चमकाये।

एक बात मैं दिल्ली की बाबत कहना चाहता हूँ—19 सितम्बर की हड़ताल के सारे एम्प्लाइज को आपने वापस ले लिया है, बराय-मेहरबानी जो थोड़े से गरीब पुलिस वाले अभी भी सस्पेण्डेड हैं, उनकी तरफ भी थोड़ी सी नजरे इनायत कर दें, उनको भी वापस ले लें।

तीसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूँ—हमारे यहां हरियाणा में कुछ एम्प्लाइज आज कल आन्दोलन पर हैं। हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया शानदार आदमी हैं, एक बड़े आपरेशन से हम कामयाब होकर बाहर निकले हैं। हमारे यहां के इन मास्टरों ने भूख हड़ताल कर रखी है, उनकी मांगें भी कुछ जायज मांगें हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कह दें कि आज देश में जगह-जगह पर जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए इन छोटी-माटी बातों को चलने नहीं देना चाहिए। अगर आप शफकत का हाथ, प्यार का हाथ उन लोगों पर रखेंगे और चीफ मिनिस्टर को लिख दें तो उनकी बात भी पूरी हो जायगी।

हमारे मुल्क में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ऐसे सूबे हैं जहां हर वक्त परफेक्ट पीस होनी चाहिए—अगर हमारा एम्प्लाई खुश होगा तो ज्यादा मेहनत और लगन से काम करेगा। हैल्दी-माइन्ड इन ए हैल्दी बाडी होना बहुत जरूरी है, लेकिन हैल्दी बाडी तो तभी बनेगा जब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाहें कम होने की वजह से ही करप्शन शुरू हो जाती है, लेकिन अगर उसको सही तनख्वाह मिले, वह अच्छा काम करे तो करप्शन नहीं होगी और जगह जगह पर जो बातें आज पैदा हो रही हैं, वे पैदा नहीं होगी।

SHRI Y. B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, this is a very important issue that this House decided to discuss. I would not take much of your time, but I will certainly explain what is the principle involved in this particular matter, I can assure the hon. Members that I have got full sympathy for the problems of Himachal Pradesh, for its people, for its employees. I understand their difficulties because most of my colleagues on this side—Shri Prem Chand Varma, Shri Pratap Singh and Shri Hem Raj—all of them are very much concerned about it.

श्री यज्ञदत्त शर्मा (अमृतसर) : और कोई नहीं है?

श्री यशवन्यराव चव्हाण : ग्राप भी हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : हम होते तो ग्राप की जुबान पर होते।

SHRI Y. B. CHAVAN : I referred to them because they represent those people. They are naturally very much concerned, and I share their concern in this matter.

These are matters which involve certain principles and financial commitments. We will have to go into them carefully. I have myself applied my mind to the problem for some time. The history of the problem has been stated by many people Till 1948 the pay scales were linked up with the pay scales of East Punjab as it was known at that time. Naturally, in the course of the last twenty years, there were many changes. That area was divided into three States—Himachal Pradesh, Punjab and Haryana. After Himachal Pradesh separated from Punjab and after Haryana was formed, there are many differences in the pay scales of Haryana and Punjab also. Naturally, when an area becomes a separate State, it grows in its own way. There is nothing wrong about it.

When the Central Government thinks about these matters, we have to take into account the different patterns of pay scales obtaining in the different Union Territories. At a certain time, the power to decide the pay scales was delegated to the Lt. Governor and the Chief Administrator. That was in 1959, I think. Bnt at one stage it was observed that the Punjab Government was the only Government which went on changing its pay scales. It is very difficult for any Finance Minister sitting in Delhi to leave the entire matter of such decisions to the Finance Minister of some State. The Punjab Government decides about its pay scales taking into account their own resources, etc. It was very difficult for the Central Government to leave the delegated power in the hands of somebody to link it up with the pay scales of either this or that State. In the meanwhile, a decision was taken that the pay scales will be according to a different principle. It was decided that it will be either Central pay scales or the pay scales of Punjab State or the adjacent State, whichever is less. To this Mr. Joshi made a reference. Personally I feel it was psychologically a wrong approach to give a feeling to the employees that they will get less and not what is reasonable. It has now been decided by the Central Government—a Cabinet decision has been taken—that instead of leaving it at that sort of variable thing, it is much better to take some decision based on one principle. That decision is that pay scales of the Government employees in the Union Territories will be linked with the pay scales of Central Government employees. They will be according to Central Government scales.

Some members have raised the point that certain employees are adversely affected by this decision. That is a legitimate point. According to my information, out of 85,000 Government employees, most of them will get an advantage.

SHRI HEM RAJ : Only a few. There are 45 categories, out of which only 26 exist in Delhi.

SHRI Y. B. CHAVAN : These are matters of detail which can be discussed later on According to my information, there are some people who are affected adversely by this and their case needs consideration. I can tell them that we will consider their case sympathetically. If they were adversely affected and if they want to have the present scales to continue, that matter will be symyathetically considered. We do not want them to suffer in that matter. I think this is a very reasonable decision. There is some principle behind it that their pay scales will be according to the Central scales.

About this hartal, strike and *bhuk* hartal, I would like to make an appeal to them that this is not the way to deal with the State Government or Central Government. I would make an appeal to them to give up this sort of measures, because we want to show them sympathy. Let them not work with some kind of danda in their hand.

As far as the demand of statehood for Himachal Pradesh is concerned, Government have indicated many times that we would like to consider this question in a positive way. It is a question of financial viability and this question is under consideration of the Government of India. We hope to arrive at some decision early. As soon as it is taken, we will certainly come to this hon. House with the positive decision in this matter.

I would request hon. Members to persuade the Government employees to give up this attitude of strike, hunger strike etc. An hon. Member asked why we do not start negotiations. There is no question of starting negotiations. If they want to come and meet me, I will not refuse to meet them. There is no question of refusing to meet anybody. But there is no question of revision. I will meet and explain to them the position. The idea is not to start negotiations ; that is not my stand. But if they want to come and meet me, I will explain my position.

19.57 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 18, 1970/Phalguna 27, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.